संख्या– 351 / XXIV–नवसृजित / 16–13(01) / 2016

प्रेषक,

डी०एस० पुण्डीर,
अनु सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

2. निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–नवसृजित देहरादूनः दिनांक 06 मई, 2016

विषयः– उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली–2013 (यथा संशोधित 2014) के नियम–29(1)(2) के अन्तर्गत स्थानान्तरण की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्रांक / सेवायें–2 / 3152 / स्था0नियम–29 / 2016–17 दिनांक 04.05.2016 एवं पत्रांक 02(02) / 2429 / 29 / स्थाना0 / 2016–17 दिनांक 04.05.2016 का संलग्नकों सहित संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली–2013 (यथा संशोधित 2014) के नियम–29(1)(2) में निहित प्राविधानानुसार शिक्षकों / शिक्षिकाओं के स्थानान्तरण हेतु प्रस्ताव प्राविधानित समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त नियमावली में प्राविधानित समिति की बैठक दिनांक 04.05.2016 को सम्यक विचारोपरांत लिये गये निर्णयानुसार समिति द्वारा की गई संस्तुति के अनुक्रम में माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा के अंतर्गत यथा संवर्गवार शिक्षकों की निम्नांकित प्रकृति के प्रकरणों की श्रेणी के अन्तर्गत स्थानान्तरण की अनुमति निम्नवत् शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:–

सहायक अध्यापक एल0टी0

| क्र.सं. | प्रकरणों की श्रेणी | कुमाऊं मण्डल | गढ़वाल मण्डल | |
|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | संख्या | महायोग |
| 1 | स्वयं की बीमारी | 6 | 11 | 17 |
| 2 | पति / पत्नी की बीमारी | 1 | 2 | 3 |
| 3 | पुत्र / पुत्री की बीमारी | 1 | 6 | 7 |
| 4 | विकलांग | 4 | 11 | 15 |
| 5 | विधवा | 2 | 2 | 4 |
| | योग :– | 14 | 32 | 46 |

## प्रवक्ता संवर्ग

| क्र.सं. | प्रकरणों की श्रेणी | कुमांऊ मण्डल | गढ़वाल मण्डल | |
|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | संख्या | महोयाग |
| 1 | स्वयं की बीमारी | 6 | 07 | 13 |
| 2 | पति/पत्नी की बीमारी | 4 | 1 | 5 |
| 3 | पुत्र/पुत्री की बीमारी | 2 | 02 | 4 |
| 4 | विकलांग | 10 | 05 | 15 |
| 5 | विधवा | 0 | 02 | 02 |
| | योग :- | 22 | 17 | 39 |

## प्रारम्भिक शिक्षा के अंतर्गत सहायक अध्यापक

| क्र.सं. | प्रकरणों की श्रेणी | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | स्वयं की बीमारी | 8 |
| 2 | आश्रित की बीमारी | 6 |
| 3 | विधवा/विधुर | 20 |
| 4 | विकलांग | 29 |
| | योग :- | 63 |

## प्रधानाध्यापक प्राथमिक

| क्र.सं. | प्रकरणों की श्रेणी | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | स्वयं की बीमारी | 9 |
| 2 | आश्रित की बीमारी | 0 |
| 3 | विधवा/विधुर | 6 |
| 4 | विकलांग | 4 |
| | योग :- | 19 |

## सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक

| क्र.सं. | प्रकरणों की श्रेणी | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | स्वयं की बीमारी | 8 |
| 2 | आश्रित की बीमारी | 6 |
| 3 | विधवा/विधुर | 8 |
| 4 | विकलांग | 13 |
| | योग :- | 35 |

1. स्थानान्तरण नियमावली के अन्तर्गत स्थानान्तरण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा सभी शिक्षकों को काउन्सिलिंग के माध्यम से अर्हता के सत्यापन के उपरांत ही उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष स्थानान्तरण आदेश जारी किये जायेंगे।

2. प्रस्तावित शिक्षकों के स्थानान्तरण नियमावली में दी गई व्यवस्था के अनुरूप अपने संवर्ग के अंदर ही अनुमन्य होंगे, परंतु जिन शिक्षकों को संवर्ग के बाहर स्थानान्तरण की अनुमन्यता नियमावली में दी गई है, पर तद्नुसार ही कार्यवाही की जाएगी।
3. ऐसे शिक्षकों जिनको नियमावली में संवर्ग परिवर्तन अनुमन्य नहीं है तथा उनके द्वारा संवर्ग से बाहर स्थानान्तरण हेतु आवेदन किया गया है, को यदि संबंधित शिक्षक संवर्ग के अंदर ही स्थानान्तरण हेतु काउंसलिंग के समय विकल्प प्रस्तुत करते हैं, को तद्नुसार स्थानान्तरण अनुमन्य होगा।
4. विधुर शिक्षकों के मामलों में उन्हीं विधुर शिक्षकों को स्थानान्तरण हेतु अर्ह समझा जायेगा जो नियमावली में उल्लिखित शर्तें पूरी करते हों।

3— उक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त प्रकृति के स्थानान्तरण प्रकरणों में तत्काल अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये अनुपालन आख्या शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डी०एस० पुण्डीर)
अनु सचिव